743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 743वीं बैठक दिनांक 27/04/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को–चेयरमेनशिप में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 11149/2024 Shri Anand Jaiswal, Owner, R/o 117, Mahatma Gandhi Marg, Bhikangaon, District-Khargone, (MP)-451331, Prior Environment Clearance for Amankhedi Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5043 cum per year) (Khasra No. 16/1), Village-Amankheri, Tehsil-Bhikangaon, District-Khargone (MP) [420131] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/04/2024को परियोजना प्रस्तावकआनंदजायसवालएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावककानाम व पता	आनंद जायसवाल पिता श्री रामनारायण जायसवाल निवासी नियर पोस्ट ऑफिस भीकनगाँव जिला खरगोन मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 16/1(शासकीय –नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल–1.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम –अमनखेड़ीतहसील–भीकनगाँवजिला –खरगोन राज्य मध्य प्रदेश।	

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक562/खनिज/2018खरगोन दिनाँक 06/08/2018के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारब्लास्टिंगप्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोनके पत्र क्रमांक/292/DEIAA/2018खरगोनदिनाँक 04/10/2018के द्वारा पत्थर–5,044 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4850घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदनकियागया है औरअनुमोदित खनन् योजनाअनुसार4850 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक1440/खनिज/2023खरगोनदिनांक .18/10/2023अनुसार500 मीटर की परिधि में 02अन्य खदानेंस्वीकृत है, परंतुवह खदाने अवधि समाप्त/निरस्तहोगई है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1440/खनिज/2023 खरगोनदिनांक .18/10/2023 अनुसार10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहीं है एवं 250 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थितनहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1440/खनिज/2023 खरगोनदिनांक .18/10/2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायतअमनखेड़ीजिला खरगोनके ठहरावप्रस्तावदिनांक26/01/2017अनुसारप्रस्तावितस्थल पर खनन् कार्य से पंचायतकोकोईआपत्तिनहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण पूर्व दिशा – 190 मी. नहर स्थित है इस संबंध में 10 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र मेंपूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावकनेबतायाकिइस खदान काविवरणजिले की अनुमोदितनवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.–91 के सरलक्रमांक–61पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारअधिकतम् उत्पादन क्षमता4850 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद मेंकेपीटलराशि रू. 8.66 लाख एवंरिक्करिंगराशि रू. 1.62लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।

7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला अमनखेड़ी में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
अमनखेड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
कुल	**30,000**

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोनमें	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रकिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

2. <u>Case No 11146/2024 Shri Gulab Gupta, Lessee, R/o Gram-Manpur, Bandhavgarh, District-Umaria, (MP)-484665 Prior Environment Clearance for Raksha Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15002 cum per year) (Khasra No. 542/1/KA, 543/1), Village-Raksha, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [431095] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **27/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता आ. श्री महेश चन्द्र गुप्ता** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **अमर सिंह यादव** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गुलाब चन्द्र गुप्ता आ. श्री महेश चन्द्र गुप्ता मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**542/1/क, 543/1 – 2.00** **(शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड)**	हे. - 2.00
स्थल	ग्राम . रक्शा, तहसील मानपुर, जिला उमरिया	
लीज स्वीकृति	कार्यालय **संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म** भोपाल के पत्र क्रमांक **16797–98/खनिज/न.क.7/उ.प./2015**,दिनांक **30/08/2017** के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग **की जा रही** है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उमरिया** के पत्र क्रमांक **19** दिनांक **14/03/2018** के द्वारा पत्थर–**15,002** घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–**15,002** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **15,002** घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **1610** दिनांक **07/11/2023** अनुसार 500 मीटर की परिधि में **02** अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार विषयांकित खदान सहित कुल रकबा **4.619** हे. होता है, अतः प्रकरण बी–**2** श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **1610** दिनांक **07/11/2023** अनुसार आवेदित क्षेत्र से बांधवगढ टाईगर रिजर्व के ताला परिक्षेत्र के कोर सीमा कक्ष क्रं. आर-332 के 03 मुनारा क्रमांक 19 से व मानचित्र एवं जी.पी.एस.रीडिंग अनुसार का (उत्खनिपट्टा) की कुल दूरी 7.500 कि.मी.की दूरी पर स्थित है। 10 कि.	

	मी. की परिधी में अन्य कोई अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **उमरिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **1610** दिनांक **07/11/2023** अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट–280 मीटर पर है, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **रक्सा** जिला **उमरिया** के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 9010. दिनांक 30/09/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र **के अन्दर स्थित** हैं ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में स्थित पेड़ो को काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– मानव बसाहट–273 मीटर पर है
	पूर्व दिशा– तालाब 411 मी., परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूकि लीज क्षेत्र से कच्चा रास्ता – 25 मी. है अतः 25 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा गया है एवं खादान क्षेत्र के दक्षिण पूर्व मे श्रमिकों के रेस्ट शेल्टर है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 44 के सरल क्रमांक–55 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान	अवलोकित नहीं हुई।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

स्थिति	
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .200 पेड़ लगाये गये एवं 400 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 15,002 मी.^{3}
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.21 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
7. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
9. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल रक्शा में लकड़ी के फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	60,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	रक्शा ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	मुनगा, आम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. **Case No. 11058/2023 Shri Samid Mohammad, Owner, 88, Bahadurpur, Bhag-1, Post-Bahadurpur, Tehsil-Mungaoli, District-Ashoknagar (MP)-473443, Prior Environment Clearance for Tamasha Stone Crusher in an area of 2.00 ha. (8550 cum per year) (Khasra No. 559/1/min-1), Village-Tamasha, Tehsil-Mungaoli, District-Ashoknagar (MP) [433542] (B2)**

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 15/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Samid Mohammad, Owner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Samid Mohammad, Owner, 88, Bahadurpur, Bhag-1, Post-Bahadurpur, Tehsil-Mungaoli, District-Ashoknagar (MP)-473443, Prior Environment Clearance for Tamasha Stone Crusher in an area of 2.00 ha. (8,550 cum per year) (Khasra No.- 559/1/min-1), Vill.-Tamasha, Tehsil-Mungaoli,District-Ashoknagar(M.P.) [433542]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 559/1/min-1, एरिया– 2.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village- Tamasha, Tehsil-Mungaoli,District-Ashoknagar(M.P.)
Description of Project	This is a crusher stone quarry. Its Comes Under B2 Category. We are using open cast semi mechanized mining method of production and its minable reserve Production is 2,37,570 Cub Meter and annual production is 8,550 Cub meter, Previous EC issued by DEIAA Ashoknagar at khasra no.-559/1/Min-1, Village- Tamasha, Tehsil–Piprai, District- Ashoknagar (M.P.). Now applying for Fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 516 दिनांक 27/09/2017.
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	BROAD BLASTING.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA EC issued by Distt. - Ashoknagar vide letter 64 dated 25/11/2017. (Stone - 8,850 cum per year).
उत्पादन क्षमता	• **स्टोन –** 8,850 **घनमीटर/वर्ष**।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोइ खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – **अशोकनगर** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 747 दिनांक 14/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – तमाशा जिला– **अशोकनगर** का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- 01 Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूकि लीज क्षेत्र मे साईट आफिस हैं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित हैं ।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Consent will be obtained after ec
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –47 के सरल क्रमांक–58 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई एवं डम्प लीज के अन्दर पाया गया
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र के अन्दर स्थित हैं एवं विंड ब्रेकिंग वॉल नहीं पाई गई।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन – 8550 मी^{3} प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.43 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.33 लाख प्रति वर्ष।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम डुगंरा के शासकीय माध्यमिक शाला के खातेमें शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000
जैविक खाद के साथश्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में कराया जाएगा।	10,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	परिवहनमार्गमें(न्यूनतमऊँचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	100

3	ग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि। तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

4. **Case No 11160/2024 Shri Rajendra, Lessee, R/o Village-Ujjaini, Gram Panchayat-Ujjaini, Tehsil-Pithampur, District-Dhar (MP)-454775. Prior Environment Clearance for UjjainiMurrum Quarry in an area of 1.50 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 30/2 Peki), Village-Utawada, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [446656] (B2)**

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रकरण है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक राजेन्द्र सिंह पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, निवासी – ग्राम उज्जैनी, तह. पिथमपुर, जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30/2 पैकी (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1. 50 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम उज्जैनी तहसील पिथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक –1922/उ.प./न.क्र.–19/22/खनिज/2023–24, दिनांक 23.06.2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नही है। रॉक ब्रेकर

	का उपयोग किया जाएगा।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2349/खनिज/2023–24 दिनांक 04.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ..... अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा ..... हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2349/खनिज/2023–24 दिनांक 04.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2349/खनिज/2023–24 दिनांक 04.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उज्जैनी, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 27.02.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**खदान में स्थित पेड़ों में से कोई पेड़ नहीं कटा जायेगा**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – 155 **मीटर पर इलेक्ट्रिक टावर हे** **उत्तर पश्चिम दिशा में 260 मीटर पर कच्ची सड़क हैं** पूर्व दिशा – 450 **मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र हैं**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि **चरागाह भूमि होने के कारण ग्राम उज्जैनी के खसरा क्रमांक** 149/2 **शासकीय भूमि पर** 1.50 **हेक्टेयर पर चरागाह विस्तार किया जायेगा। खसरा क्रमांक** 149/2 **शासकीय भूमि ग्राम सरपंच द्वारा बताई गई है। खनन पट्टे के चारो तरफ कृषि भूमि होने के कारन 25 मीटर का सेड्बैक दिया गया है** अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि, 05 वर्ष तक के चरनोई विकास का फंड संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदाय करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.19 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 3.00 लाख प्रति वर्ष ।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. लीज क्षेत्र के समीप खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
5. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक

कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

7. सी.ई.आरमद में निम्नानुसार राशि रू. 80,000.. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
गांव उज्जैनी के शासकीय प्राथमिक विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	80,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	**नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी सिस्सो आदि** एवं चार प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगें।	430
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	**नीम,पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि।**	500
3	समीपस्थ ग्रामीणों को वितरण	**आम, जामुन, अमरूद, आंवला,अनार, निम्बू, इमली,कटहल, आदि**	870
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No 11147/2024 Shri Krishnakant Yadav, Owner, R/o 21, Madi Buzurg, Tehsil-Mungawali, District-Ashoknagar, (MP)-473443, Prior Environment Clearance for Belai Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11970 cum per year) (Khasra No. 273/1/1KA/1), Village-Belai, Tehsil-Mungaoli, District-Ashoknagar (MP) [449165] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णकांत यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Mr KrishnakantYadav S/o Shri Gulab Singh Yadav R/o – Village – Madibujurg, Tehsil – Mungawali, District – Ashoknagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	273/1/1 ka 1 (शासकीय –नॉनफॉरेस्टलेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Belai, Tehsil-Bahadurpur, District-Ashokanagar(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के पत्र क्रमांक 316 दिनांक 05/05/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	पुनर्मूल्यांकन प्रोजेक्ट ।	
डियाई.सी. का विवरण(यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक66 दिनांक25/11/2017 के द्वारापत्थर–11970 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–11970 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 11970 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 696 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी– 2 श्रेणी का है।	
व्न मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 696 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नही ंहै ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल	

	प्रमाण–पत्र क्रमांक 696 दिनांक 16/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीणकच्चा/ पक्कारास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मुंगावली जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 49 दिनांक 26/01/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	लीज क्षेत्र में 8 पेड़ हैजो किगैर खनन् क्षेत्र के रूपमें छोड़ा जाना प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–हाइटेशन लाईन लगभग 165 मीटर की दूरी पर स्थित है इस प्रकार 35 मीटर का सेटबेक दिया जायेगा ।
	दक्षिण दिशा–बरसाती नाला लगभग 65 मीटर की दूरी पर स्थित हैं अतः 35 मीटर का सेटबेक दिया जाना प्रस्तावित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.– 31 के सरल क्रमांक– 54 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन सघन रोपण नहीं है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत किये गये कार्यों के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजनाप्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरणप्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गईजानकारीसंतोषजनक एवंस्वीकार्य योग्य होनेसेसमितिविशिष्ट शर्तो एवंस्टेण्डर्ड शर्तोसंलग्नक–ए अनुसारनिम्नानुसारपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृतिजारीकरनेकीअनुशंसाकरतीहैः–

1. अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारअधिकतम् उत्पादन क्षमता11970 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरणप्रबंधन योजना मद मेंकेपीटलराशि रू. 9.16 लाख एवंरिकरिंगराशि रू. 1.38 लाख प्रतिवर्ष ।
3. सी.ई.आर मद मेंनिम्नानुसारराशि रू. 1.0 लाख तथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1.0 लाख की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बेलई के शासकीय माध्यमिक शाला में प्रयोगशाला के विकास हेतु खाते में राशि जमा की जावेगी।	**1.0 Lakh**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार(सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षोंका वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवंअन्य स्थानीय प्रजातिया	800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवंअन्य स्थानीय प्रजातिया	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवंअन्य स्थानीय प्रजातिया	1500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. **Case No 11152/2023 Shri Dharmendra Sendhav, Lessee, R/o Amlataj, Tehsil-Hatpipliya, District-Dewas (MP)-455227. Prior Environment Clearance for Amlataj Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 2126, 2129, 2130), Village-Amlataj, Tehsil-Hatpiplya, District-Dewas (MP) [449716] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेन्द्रसिंह सेंधव पिता श्री बाबूलाल सेंधव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री धर्मेन्द्रसिंह सेंधव पिता श्री बाबूलाल सेंधव	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2116, 2129, 2130 (शासकीय भूमि नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village-Amlataj0, Tehsil-Hatpipliya, District-Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 489 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 213 दिनांक 28.03.2018 के द्वारा पत्थर–4000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	NA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500	

	मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 24/11/2023 अनुसार क्षेत्र 3.0 किलोमीटर की दूरी पर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षासंस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आमलाताप जिला देवास के दिनांक 30.08.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावित्स्थतपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण–0 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण–0
	उत्खनिपट्टे के पूर्व दिशा में 38 मीटर पर पक्का रोड स्थित है जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिवक द्वारा बताया गयाकी नॉन ब्लास्टिंग का खनन योजना अनुमोदन करवाकर प्रस्तुत किया जावेगा
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन शीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरान्त पाया की लीज के 03 खसरों में से 02 खसरें काबिल कास्त में हैं अतः खनिज अधिकारी से खसरों के क्षेत्रफल सहित अभिमत प्राप्त करें कि इन खसरों में खनन कार्य करने की अनुमति है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

7. **Case No 11151/2023 Shri Yogesh Singh S/o Arun Singh, Owner, R/o Gram-Makrohar, Post-Makrohar, District-Singrauli, (MP)-486886, Prior Environment Clearance for Makrohar Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (15129 cum per year) (Khasra No. 176, 178), Village-Munghawa, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP) [450013] [DEIAA] (B2).**

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया की लीज क्षेत्र के पूर्वी दिशा में एक कच्ची रोड 90 मी. पर एवं एक पक्का रोड दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मी. पर है तथा पश्चिम दिशा में कुछ मकान लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मकान खदान के साईट आफिस हैं। इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र प्राप्त कर फोटोग्राफ सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करें। साथ ही खदान क्षेत्र का स्थल निरीक्षण भी करें।

8. **Case No 11162/2024 Shri Rajkumar Sharma, Owner, R/o Flat no-902, 9th floor, A Wing Akanksha Building Prem Nagar Complex, Nityanand Nagar, St Pauls High**

School, Mira Road East, Mira-Bhayander, Thane, (MH)-401107, Prior Environment Clearance for Deosarra Granite Quarry in an area of 3.016 ha. (44495 cum per year) (Khasra No. 8, 9/2, 9/3), Village-Deosarra, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP) [451595] (B2)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 27/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि.उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajkumar Sharma R/o- Flat no.- 902,9th Floor, Akanksha Building, Prem Nagar, Meera Road, District- Thane (M.H.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	8, 9/2, 9/3(निजी–फॉरेस्ट लेंड)	3.016 hectare.
स्थल	Village – Deosarra, Tehsil – Balaghat, District - Balaghat (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 588 दिनांक 26/05/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंगप्रस्तावित नहीहै ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल उत्पादन – 44,495 घनमीटर/वर्ष जिसमेंग्रेनाइट–7,985 घनमीटर/वर्ष एवं सवग्रेड मिनिरल – 36,510 घनमीटर/वर्ष खनन् योजना अनुसारहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.016 हे. होता है, अतः प्रकरण बी– 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में आवेदित क्षेत्र वन विकास निगम को हस्तांतरित वन कक्ष क्रमांक**1188** की वन सीमा से लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र **250 मी.**के अ न्दरहै।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1066 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय,	

	पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी–500 मी. के अन्दर नदी वैनगंगा एवं नाला तथा ग्रमीण कच्चा रास्ता है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सकरी जिला बालाघाटके ठहराव प्रस्ताव कमांक 02 दिनांक 18/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 212 पेड़ स्थित हैं जिसमें सें 30 पेड़ काटेजायेगें एवं उनके स्थानपरलिज क्षेत्र के आसपास 300पेड़ लगायेंजायेगें एवं पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन के रूप में छोडा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–नदी लगभग 360 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ।
	दक्षिण दिशा– नदी लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ।
	पश्चिम दिशा–नदी लगभग 320 मीटर की दूरी पर स्थित हैं ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 53 के सरल कमांक– 11 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 44,495 घनमीटर/वर्ष (ग्रेनाइट–7,985 घनमीटर/वर्ष एवं सवग्रेड मिनिरल – 36,510 घनमीटर/वर्ष)।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.53 लाख प्रतिवर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 2,60,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम देवसर्रा के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**2,60,000/-**
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन	**10,000/-**

प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में कराया जाएगा।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3620 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	920
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	450
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2250
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. **<u>Case No 11150/2023 Shri Narendra Sonti, Owner, R/o Village-Ramdi, Tehsil-Makdon, District-Ujjain, (MP)-456668, Prior Environment Clearance for Gandhinagar Stone (Gitti) & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-5000, M-Sand-15000 cum per year) (Khasra No. 168), Village-Ghatiya, Tehsil-Ghatiya, District-Ujjain (MP) [452047] (B2)</u>**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक नरेन्द्र सोठी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री नरेन्द्र सिंह सोठी पिता श्री भागीरथ सिंह , निवासी – रामड़ी तह. मकडोन, जिला उज्जैन म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	168 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 हेक्टयेर hectare. भाासकीय भूमि
स्थल	ग्राम गांधीनगर, तहसील मकडोन, जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक – 3049–52 / खनिज / उ.प्र. / न.क्र. 09 / 2023, दिनांक 03.10.2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5000, एम.सेण्ड. 15000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 5000, एम.सेण्ड. 15000 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10483 / खनिज / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण ठ2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10483 / खनिज / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 10483 / खनिज / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / ाम ाान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामडी, जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु/पंचा/2022 दिनांक 05.09.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण 22 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण 17 • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 170

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, **जिसमे पक्की सड़क से** 40 **मिटेर एवं नाले से** 30 **मीटर का सेडबेक दिया प्रस्तुत किया गया है इस प्रकार लगभग** 0.5602 **हेक्टयर क्षेत्र पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा खनन कार्य 0.9578 हेक्टेयर पर ही की जाएगी** पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–5000, एम.सेण्ड. 15000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12,06,500 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3,62,000 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,20,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
गांव **गांधीनगर** के शासकीय **प्राथमिक** विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2570 .वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल,, करंज, कदम, चिरोल, जंगल	500

		जलेबी,सिस्सो आदि।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम,पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि।	60
3,	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला,अनार, निम्बू, इमली,कटहल, आदि	1790
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या	चिरोल आदि	170
5	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, सीताफल, पीपल,, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी,सिस्सो आदि।	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 10 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 11148/2024 Shri Pratipal Pawar, Owner, R/o Ward No. 03, FutaKuaa, Chanderi, District-Ashoknagar, (MP)-473446. Prior Environment Clearance for Badera Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (11761 cum per year) (Khasra No. 669), Village-Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashoknagar (MP) [453060] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदानबी–2 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वाराजारीपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकनकाहै, जिसमेंआजदिनांक27 / 04 / 2024कोपरियोजनाप्रस्तावकश्रीप्रतिपाल सिंह पवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारश्रीआशीष त्रिपाठीमेसर्स ए.एस.जीइंवायरमेंटलसर्विसेसप्रा. लि.उपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pratipal Singh Pawar S/o Shri Dilip Singh Pawar R/o- Ward-03, FootaKunwaChanderi, District- Ashoknagar (M.P.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	669 (शासकीय–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	2.50 hectare.
स्थल	Village – Badera,Tehsil –Chanderi, District - Ashoknagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिलाअशोकनगरके पत्र क्रमांक 607दिनांक 24/08/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	पुनर्मूल्यांकन प्रोजेक्ट।	
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 125 दिनांक 26/09/2018 के द्वारा पत्थर– 11761 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 11761 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 11761 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिलाअशोकनगर के एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 682 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी– 2 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 682 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थितन हीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 682 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/	

	बांध/स्टॉपडैम/नहर/ ग्रामीणकच्चा/ पक्कारास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत चंदेरी जिला अशोकनगर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 15/07/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशरलीज क्षेत्र मेंप्रस्तावितहै।
प्रस्ताविज स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कई अन्य पेड़ हैं जो कि गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा है ।
प्रस्तावितस्थलकीगूगल इमेज अनुसारवर्तमानस्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि मेंस्थितसंवेदनशील घटकों(जैसेप्राकृतिकनाला, नदी, नहर, आबादीकच्ची एवंपक्कीसडक, पुरातत्वमहत्व के स्थलइत्यादि) की खदानसेदूरीदर्शातेंहुये एवंमाननीय एनजीटी के उक्तस्थानवारमापदण्डछोडतेहुयेसरफेसमेपको के साथप्रस्तुतकरें)	दक्षिणदिशा–कच्चा रोड लगभग 20 मी परहै।
	पश्चिम दिशा–कच्चा रोड लगभग13 मी पर है।
प्रस्ताविज खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 30 के सरल क्रमांक– 49 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 80 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।

अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारअधिकतम् उत्पादन क्षमता11761 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरणप्रबंधन योजना मद मेंकेपीटलराशि रू. 12.81 लाख एवंरिक्ररिंगराशि रू. 1.58 लाख प्रतिवर्ष ।
3. सी.ई.आर मद मेंनिम्नानुसारराशि रू. 0.70 लाख तथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	**राशि (रू.में)**
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशीपालकशिक्षकसंघसमितिग्रामबडेरा के शासकीय माध्यमिक शाला के खातेमें शालाविकासकार्यहेतुजमाकीजावेगी। **जैविक खाद के साथश्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवंप्रोत्साहनप्रशिक्षण 6 माहमेंकृषिविज्ञानकेंद्रमेंकरायाजाएगा।**	**60,000/-** **10,000/-**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार(सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षोंका वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियरजोनमें	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	650
2	परिवहनमार्गमें(न्यूनतमऊॅचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवंअन्य स्थानीय प्रजातिया	350
3	ग्रामवासियों म ंवितरणहेत	सीताफल, आँवला, अमरूद,	2000

		मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. **Case No 11158/2024 Shri Beniram Patel, Leessee, R/o Village-Katora, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP)-451113, Prior Environment Clearance for Bijgohan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (5225 cum per year) (Khasra No. 125), Village-Bijgun, Tehsil-Barwaha, District-Khargone (MP) [453889] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांक नकाहै, जिसमेंआजदिनांक27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री बेणी राम पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री बेणीराम पटेल पिता श्री प्रेमलाल पटेल	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	125(शासकीय भूमि नॉनफॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Bijgohan, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाखरगोन के पत्र क्रमांक991दिनांक 19.12.2016के द्वारास्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक 276 दिनांक 23.05.2019 के द्वारा	

(यदि लागू हो)	पत्थर–5225 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	NA
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5225घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5225 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में वन मण्डलाधिकारी वनमडंल (क्षेत्रीय), देवास का पत्र क्रमांक DM/2016/4710 दिनांक 24.05.2016 अनुसार वन क्षेत्र 450 मीटर की दूरी पर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 11/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लौंदी (बिजगोहन) जिला खरगोन के दिनांक 02.10.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्ताविज स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-Yes Tree Failing-No
गूगल ईमेज के अनुसार वर्तमान में प्रस्तावित स्थिति	पूर्व दिशा– कच्चा रोड लगभग 15 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 35 मी. का सेटबेक छोड़ा है। उत्तर दिशा– नाला– लगभग 115 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर नं.–09 के सरल क्रमांक–39 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक

	04/08/22) मेंलिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 30 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत किये गये कार्यों के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारादिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 5225
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू.8.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.33 लाख प्रतिवर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

7. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
9. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
10. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप/संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
11. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
12. सी.ई.आर मदमेंनिम्नानुसारराशि रू. 80,000लाख तथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्षमेंपूर्णकियेजाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम बिजगोहन स्थित ग्रामपंचायत में ग्रामकल्याण हेतु अधोसंरचना ग्रामविकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी. जावेगी.	60,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3240 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	*कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल*आदि।	600
2	परिवहन मार्गमें (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि।	200
4	ग्राम बिजगोहन के मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50

5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	1550
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. **Case No 11165/2024 Shri Surendra Goud, Lessee, R/o 05, Radhaganj, District-Dewas (MP)-455001 Prior Environment Clearance for Kalma Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-25000, Murrum-6480 cum per year) (Khasra No. 896), Village-Kalma, Tehsil-Tonk Khurd, District-Dewas (MP) [449410] [DEIA A] (TOR)**

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह गौड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुरेन्द्र सिंह गौड पिता श्री सौभागसिंह गोड 6 राधा गंज देवास , तहसील व जिला – देवास (म .प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	896 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड) भूमि–उपयोग – चरनोई	4.00 hectare.
स्थल	Vill. - Kalma, Tehsil- Tonk Khurd, District- Dewas (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक. 1791 दिनांक 06/10/ 2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 25.07.2016 के द्वारा पत्थर–25,080 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा –अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिट्टी व अधिकतम 6480 घनमीटर/वर्ष मुर्रुम हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिट्टी व अधिकतम 6480 घनमीटर/वर्ष मुर्रुम है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 से किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलमा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 15. 08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा – कच्चा रोड 25 मी. जिससे 25 मी. का सेट बैक प्रस्ताबित किया गया हैं।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 23 के सरल क्रमांक–54 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना

परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड

लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.एन.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. समीपस्थ चरनोई भूमि पर आवश्यक बजट के साथ विकास एवं रख–रखाव का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के सहयोग से ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

13. **Case No 11169/2024 Shri Naresh Prasad Gupta, Partner, M/s Chitrangi Stone Works, R/o Shiv Nagar Colony, Post-Billi, District-Sonbhadra (UP)-231219, Prior Environment Clearance for Piparwan Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (120284 cum per year) (Khasra No. 225/1/2, 225/1/5, 225/1/1, 226/2, 230/1/1, 226/1), Village-Piparwan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [453518] [DEIAA] (TOR)**

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चितरंगी स्टोन वर्क्स पार्टनर श्री नरेश प्रसाद गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स चितरंगी स्टोन वर्क्स पार्टनर श्री नरेश प्रसाद गुप्ता ग्राम शिवनगर कालोनी विल्ली पोस्ट बिल्ली जिला सोनभद्र (उ.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**225/1/2, 225/1/5, 225/1/1, 226/2, 230/1/1 226/1** (निजी भूमि सहमति पर एंव शासकीय भूमि–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.90 hectare.
स्थल	**Vill. - Piparwan, Tehsil- Chitrangi, District- Singrauli (M.P.)**	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर सिंगरौली के पत्र क्रमांक. 5778 दिनांक 14/08/ 2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सिंगरौली के पत्र क्रमांक 124 दिनांक 27.09.2018 के द्वारा पत्थर–45066 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–अधिकतम 1,20,284 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 1,20,284 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3615 दिनांक 14/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.38 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3615 दिनांक 14/10/2023 अनुसार 10` किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं प्रतिवेदन अनुसार आवेदित स्थल से सोन घड़ियाल अभ्यारण से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3615 दिनांक 14/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बडकुड जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव कमांक 15 दिनांक 14.04.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कुछ पेड़ हैं
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	• एक पक्की सड़क खान पट्टा क्षेत्र से लगभग 85 मीटर पूर्वोत्तर की दिशा में स्थित हैं, इस तरफ 15 मीटर (गैर–खनन क्षेत्र के रूप में) का एक सेट बैक प्रस्तावित है। रॉक ब्रेकर का उपयोग करके खनन किया जाएगा। • खदान स्थल से लगभग 93 मीटर पश्चिम की ओर एक कच्चा मकान से 100 मीटर गैर–खनन को बनाए रखने के लिए 7 मीटर का सेट बैक गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 48 के सरल कमांक–109 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions

12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर

इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
37. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
38. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
40. प्रस्तावित चारागाह के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है अतः इस संबंध में तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी से पुष्टि कराकर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

14. **Case No 11168/2024 Shri Rajesh Khare, Lessee, R/o Village-Dhannad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)-453001, Prior Environment Clearance for Kheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.00 ha. (20500 cum per year) (Khasra No. 1021), Village-Khera, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [448332] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक राजे ा खरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेश खरे पिता श्री भाम्भुलाल खरे, निवासी – ग्राम धन्नड, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1021 पैकी (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम खेडा, तहसील पीथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक – 409/उ.प.न./न.क्र./58/151/खनिज/2016–17, दिनांक 15.03.2017 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 52/DEIAA/2017 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा पत्थर–20520 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20520 घनमीटर/वर्ष हेतु

	आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20520 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2545/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 16 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 27.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2545/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2545/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका पिथमपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2046/पंचा/06 दिनांक 11.12.2006 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नही है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– 477 meter पर **कच्ची** रोड है **उत्तर दिशा में 477 मीटर पर आवासीय क्षेत्र है** दक्षिण दिशा– 380 meter पर **पक्की** रोड है दक्षिण दिशा 250 **मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र हैं**
प्रस्तावित खदान की जिला	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले

सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सिरियल क्रमांक–20 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड

लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. **Case No 11166/2024 Shri Rehan Khan, Lessee, R/o Village-Sagor, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP)-454775. Prior Environment Clearance for Kheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.50 ha. (39900 cum per year) (Khasra No. 1021/1), Village-Khera, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [448459] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक रेहान खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रेहान पिता श्री मुस्ताक खान , निवासी – ग्राम सागोर, तह. एवं जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1021/1 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.50 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम खेडा, तहसील एवं जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक –56/उ.प./न.क्र./खनिज/2018–19, दिनांक 16.07.2018 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 137/DEIAA/2017 दिनांक 06.04. 2017 के द्वारा पत्थर–39900 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय

	अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–39900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 39900 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2547/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 30.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2547/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2547/खनिज/2023–24 दिनांक 27.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टे ान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका पिथमपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 9816/न.पा./16 दिनांक 23.12.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	No Existing tree
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– 222 meter पर **पक्की** रोड है दक्षिण दिशा 90 **मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र हैं**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –18 के सिरियल क्रमांक–22.पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू ं है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

16. **Case No 11167/2024 Shri Ashok Goud, Lessee, R/o 05, Radhaganj, District-Dewas (MP)-455001. Prior Environment Clearance for Kalma Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-25507, Murrum-6720 cum per year) (Khasra No. 896), Village-Kalma, Tehsil-Tonk Khurd, District-Dewas (MP) [448643] [DEIAA] (TOR)**

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक सिंह गौड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अशोक गौड पिता श्री भगवानसिंह गौड	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	896 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Vill. - Kalma, Tehsil- Tonk Khurd, District- Dewas (M.P.)	

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर देवास के पत्र क्रमांक. 1720 दिनांक 06/10/2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 87 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा पत्थर–25,610 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	–
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा –अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिट्टी व अधिकतम 6,720 घनमीटर/वर्ष मुर्रुम हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिट्टी व अधिकतम 6,720 घनमीटर/वर्ष मुर्रुम है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2573 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2573 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 10 से किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2573 दिनांक 21/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलमा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 15.08.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 23 के सरल क्रमांक– 53 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. प्रस्तावित चारागाह के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

17. <u>Case No 11171/2024 Shri Motilal Dhakad, Lessee, R/o Ward No. 1, Bijasan Mata Mandir, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP)-458228, Prior Environment Clearance for Fusriya Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 1185/1, 1188, 1189), Village-Funsariya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP) [452549] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मोतीलाल धाकड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मोतीलाल पिता श्री प्रभूलाल धाकड, निवासी – वार्ड न0 01, पुलिस थाने के सामने, सिगोली, नीमच म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1185/1, 1188, 1189 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम फुसरिया, तहसील सिगोली, जिला नीमच
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक – 1445/खनिज/क्यु.एल./2018, दिनांक 28.09.2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया नीमच के पत्र क्रमांक 1004/DEIAA/खनिज/2016 दिनांक 21.06.2016 के द्वारा पत्थर–20000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकल प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसे समिति ने मान्य किया गया ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	
तहसीलदार की अनापत्ति	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फुसरिया, जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु. पंचा/2019 दिनांक 03.08.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नही है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**Tree Existing- yes** **Tree Failing- No**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– अन्य खदाने है **खदान के N E में 95 मीटर पाए कच्ची सड़क है**
	दक्षिण दिशा–कृषि भूमि है
	पूर्व दिशा–120 meter पर **पक्की सड़क** है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सिरियल क्रमांक–39 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1- Copy of Form-I
2- Land status/P2:
3- Area & Location with Khasra no:

4- Current Ekal Praman Patra
5- Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6- Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7- OB Dump and waste management with facts and figures:
8- Top soil management with soil profile:
9- Detail of old Environment Clearance with validity period:
10- EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11- Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12- Water requirement (KLD):
13- Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14- No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15- Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16- Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17- Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18- Carbon footprint.
19- Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20- प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।

23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25- यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।

- Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है।

इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

18. Case No 11161/2024 Shri Sama Khan S/o Abdul Rahman, Project Proponent, R/o Urmain Road, Sagour, Nagar Palika Office ke Pass, Sagour, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775 Prior Environment Clearance for Rawad Stone Crusher Quarry in an area of 3.642 ha. (37000 cum per year) (Khasra No. 33/1/4/3), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [451574] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27 /04/2024 को परियोजना प्रस्तावक सामा खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मि सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	सामा खान **निवासी** नगर पालिका सगोर के पीछे, **डिस्ट्रिक्ट-** /ार मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 33/1/4/3 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल –3-.642 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम – रवाद तहसील – देपालपुर जिला – इंदौर राज्य मध्य प्रदेश।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 628/[ानिजध्2018 इंदौर दिनांक 28-06-2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक/420/डीया/न. क्र. -1/2018 इंदौर दिनाँक 10.12.2018 के द्वारा पत्थर – 12,000 घनमीटर /वर्ष म सांड - २5,००० घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 12,000 घनमीटर /वर्ष म सांड - २5,००० घनमीटर /वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर – 12,000 घनमीटर /वर्ष म सांड - २5,००० घनमीटर /वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1755/[ानिजध्2018 इंदौर दिनांक 16.08.2023, अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1755/[ानिजध्2018 इंदौर दिनांक 16.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1755/[ानिजध्2018 इंदौर दिनांक 16.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रवाद जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02.02.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक – 60 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. <u>Case No 11154/2023 Shri Ravi Bargal, Partner, M/s Shriram Stone Crusher, R/o 111, C Sangam Nagar, District-Indore (MP)-452006 Prior Environment Clearance for Sejwani Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (14140 cum per year) (Khasra No. 281/1/1/1), Village-Sejwani, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) [450747] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रकरण आज सेक की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

20. <u>Case No 11170/2024 Shri Mayank Sikarwar, Lessee, R/o 35, G, Vaktabar, Ramnagar, District-Indore (MP)-452018, Prior Environment Clearance for Deopipaliya Stone Quarry in an area of 4.990 ha. (Gitti-24832, OB-12800 cum per</u>

year) (Khasra No. 303), Village-Deo Pipalya, Tehsil-Bagli, District-Dewas (MP) [439570] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मयंक सिंह सिकरवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री मयंक सिंह सिकरवार पिता श्री महेन्द्रसिंह सिकरवार निवासी–35 जी, वक्तावर रामनगर इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	303, (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड) | 4.990 hectare.
स्थल	Vill.- Deopipalya, Tehsil- Bagli, District- Dewas (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर देवास के पत्र क्रमांक. 2417 दिनांक 26/10/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 178 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा पत्थर–24,832 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	–
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम 24,832 घनमीटर/वर्ष पत्थर , और 12,800 घनमीटर/वर्ष ओवरबर्डन हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 24,832 घनमीटर/वर्ष पत्थर , और 12,800 घनमीटर/वर्ष ओवरबर्डन है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.990 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 के अनुसार वन क्षेत्र खदान परिधि से 08 किलोमीटर की दूरी पर है। एवं नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2266 दिनांक 24/11/2023 अनुसार 500

	मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलमा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.07. 2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला देवास म.प्र. से इस खदान का विवरण जिले की उपान्तरित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मलित कर दी जावेगी।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
33. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
34. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
35. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.
37. प्रस्तावित चारागाह के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

21. Case No 11173/2024 Ms Lata Gupta, Lessee, R/o Shri Ram Mandir Kutir Krishna Colony, Tansen Road, District-Gwalior (MP)-474006 Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [453752] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लता गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती लता गुप्ता पत्नि श्री मनोहरलाल गुप्ता निवासी–18, श्री राम कुटीर कृष्णा कॉलोनी, तानसेन रोड़ जिला ग्वालियर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3717/2 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Bilaua, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक. 11789 दिनांक 12/10/ 2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1182 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पत्थर–50000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	–	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 50000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 26 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 44.649 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 26/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2093 दिनांक 04.07. 2002 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 23 के	

	सरल क्रमांक– 05 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड

लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. प्रस्तावित चारागाह के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

36. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

22. Case No 11163/2024 Shri Tejwant Jain, Lessee, R/o Sudamapuri, Morar, District-Gwalior (MP)-474006, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [434526] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री तेजवंत जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री तेजवंत जैन सुपुत्र श्री कन्हया लाल जैन निवासी– सुदामापुरी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3717/2 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Bilaua, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक. क्यू.एल–107/201 दिनांक 20/12/ 2020 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 289 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा पत्थर–50000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	–
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– अधिकतम 50000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 50000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1841 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 29 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 47.888 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1841 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1841 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थित नहीं है"।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2093 दिनांक 04.07.2002 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	• पश्चिम दिशा – हॉल रोड 12 मी • आबादी 280 मी. NW • केनाल 400 मी. NW
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 26 के सरल क्रमांक–23 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी

दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

23. Case No 11153/2023 Shri Rohit Sharma, Partner, M/s Stonex Infra, R/o Narmada Colony, Gandhi Road, Morar, District-Gwalior (MP)-474006, Prior Environment Clearance for Bilaua Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (44782 cum per year) (Khasra No. 3717/2), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [434468] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्टोनेक्स इंफ्रा पार्टनर श्री रोहित शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स स्टोनेक्स इंफ्रा पार्टनर श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री वीरेंद्र शर्मा निवासी–नर्मदा कॉलोनी गॉधी रोड मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3717/2 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village-Bilaua, Tehsil- Dabra, District- Gwalior (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर के पत्र क्रमांक. 11760 दिनांक 10/10/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1178 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा पत्थर–70000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	–	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– अधिकतम 44782 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 44782 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 33 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 61.834 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1842 दिनांक 06/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थित नहीं हैै।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2093 दिनांक 04.07.2002 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 21 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Year wise details of minerals already excavated till date should be submitted with EIA report.
2. Compliance of consent conditions of M. P. Pollution Control Board from concerned Regional Office.
3. Level of mechanization should be discussed in the EIA report.

4. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed.
5. Status of all court cases (with summery of all the directions and compliances made) issued by honourable Courts.
6. A list of all the mines located in the Billaua, Rafadpur and Chirpura cluster along with their lease area, lease period, existing production, proposed production as per approved mine plan, production for which the EC is desired (Form 1), available minable reserve, proposed ultimate depth, post mining land use, details of crusher if located within the lease area, if crushing is done outside the lease area its location and details, details of any habitation, water body, road, school, or hospital or any other public place within 500 m of the cluster.
7. A satellite Image of the area showing all the mines and crusher located in the cluster, mineral evacuation route, all important features like water body, habitation, roads, industry and other mines etc located within 5 km radius of the cluster.
6. A surface plan of the entire cluster area (contour interval not more than 3.0 m) with maximum and minimum RL of each mine of cluster.
7. Air pollution control measures adopted by each mine and crusher in the cluster.
8. An evacuation plan for entire cluster with evacuation route shown on a map, location of school, hospital, habitation etc falling on the route should also be shown on the map. The plan should also include the type and condition of the road and a justification that road network is adequate to evacuate the proposed production from the cluster.
9. Ambient Air Quality Monitoring on following locations be conducted for one season:-

   (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
   (b) Two monitoring station one each at main evacuation road and Billaua village road.
   (c) Three monitoring station i.e. one at windward direction and two at leeward direction.
   (d) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.
   (e) One monitoring station close to water body i.e. Udalpara Tal.

10. Furnish the name and production of the each mine within 01 kms radius that were in operation during the base line data collection.
11. Photography and Videography should also be done during collection of baseline data.
12. Noise Monitoring on following locations be conducted for one season :-
    (a) Three monitoring station one each at three nearby villages i.e. Billaua, Rafatpur & Chirpura.
    (b) Two monitoring station one each at Naktapata square and nearby water body.
    (c) Three monitoring station within the cluster area near installed crushers.
13. Discuss in EIA report the present scenario of OB management with locations of OB dump marked on map, measures taken for stabilization of dump, photographs of OB dump and proposed OB management plan for entire cluster.
14. Provide information regarding mine wise requirement of water, mine wise source of water and total water requirement of entire cluster.
15. A blast induced ground vibration and air over pressure study for the mines located within 500 m of any dwellings or any other important structure. The study should clearly recommend a site specific square root predictor equation for determining the maximum charge/delay that can be safely used.
16. A drainage plan for entire cluster and surface run off management plan.
17. Hydrological studies be carried out to address the impact of existing mining activities on ground water. The report shall clearly mention the maximum depth up to which mining can be allowed in the cluster without causing any adverse impact on ground water and extent up to which mining can be allowed near surface water body.
18. Proposed plantation scheme and If plantation is proposed outside the lease area also, commitment of district administration is also required.
19. Public consultation be conducted as per EIA Notification, 2006.
20. In addition to EMP for entire cluster in the EIA report a site specific EMP for each mine should also be prepared and submitted separately.
21. Provide details of court cases/ litigations pending, if any.
22. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
23. Carbon footprint.
24. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

25. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
26. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
27. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
28. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
29. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
30. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
31. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
32. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
33. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
34. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
35. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
36. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
37. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
38. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

39. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
40. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
41. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
42. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
43. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
44. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
45. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
46. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
47. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

24. <u>Case No 11164/2024 Shri Pawar Kumar Jain, Partner, M/s Jai Sidh Baba Stone Crusher, R/o Chatri Road, Pragati Billa, District-Shivpuri (MP)-473551 Prior</u>

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

Environment Clearance for Bamor Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (11020 cum per year) (Khasra No. 1722, 1725, 1726), Village-Bamor, Tehsil-Badarwas, District-Shivpuri (MP) [434898] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रशर पार्टनर – श्री पवन जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रशर पार्टनर – श्री पवन जैन निवासी– मोहरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1722, 1725 & 1726 (निजी भूमि सहमति पर– नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.80 hectare.
स्थल	Village- Bamor, Tehsil- Badarwa, District- Shivpuri (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म (म प्र) भोपाल के पत्र क्रमांक. 12673–75 //उत्खनिपट्टा / ग्रुप /न क्र 62 / 2017 दिनांक 13/06/ 2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा पत्थर–11020 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	–	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– अधिकतम 11020 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 11020 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं	

	है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1256 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थित नहीं है"।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 21 दिनांक 15.08.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 14 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
f. Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

25. <u>Case No 11172/2024 Shri Rahul Sahu, Lessee, R/o Village-Kuchdod, Tehsil & District-Mandsaur (MP)-458895, Prior Environment Clearance for Arniya Gurjar Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Gitti-6300, M-Sand-5000 cum per year) (Khasra No. 36), Village-Arnya Gujar, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur (MP) [432029] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 27.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल साहु पिता श्री गंगाराम साहु एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राहुल साहु पिता श्री गंगाराम साहु निवासी कुचड़ोद तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	36 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Vill.-Arniyagurjar, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर मंदसौर पत्र क्रमांक. 26 दिनांक 06/10/ 2023 लीज अंतरण स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया मंदसौर के पत्र क्रमांक 24 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा पत्थर–5500 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	–	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–अधिकतम 6300 घनमीटर/वर्ष एंव एम–सेण्ड 5000 हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम 6300 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 889 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 889 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र की दूरी पर स्थित नही है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 889 दिनांक 19/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी/नहर/तालाब स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कालखेडी जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 20.08.2008 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है।	

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – पक्की सड़क खदान पट्टे से 95 मीटर पूर्व में मौजूद है पक्की सड़क से पूर्व दिशा में 100 मी तक सेट बैक दिया जाएगा।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 29 के सरल क्रमांक– 26 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

33. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे

35. Detailed evacuation plan with transport route properly marked on the Google map and address strength of the road bridge (if any) is to be discussed in the EIA report.
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है अतः इस संबंध में तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी से पुष्टि कराकर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

26. <u>Case No 11159/2024 Shri Surendra Matwa, Authorized Person, R/o Khuri Kalan, Nagaur, Khurikallan, District-Nagpur (RJ)-341503, Prior Environment Clearance for Chandana Flag Stone (Block Mining) Quarry in an area of 1.087 ha. (3424 cum per year) (Khasra No. 638/1), Village-Chandna, Tehsil-Raisen, District-Raisen (MP) [449974] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारीपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकनका है, जिसमें आजदिनांक27/04/2024को परियोजना प्रस्तावकसुरेन्द्र सिंह मातवाएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

743वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 27 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावककानाम व पता	सुरेन्द्र सिंह मातवापिताश्रीभगत सिंह मातवा पता – 27 बस स्टैन्ड खुडीकला तहसील नागौर जिला नागौरराजस्थान	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 638 / 1(निजी–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल–1.087 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम चाँदना तहसील व जिला रायसेन राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके पत्र क्रमांक / खनिज / 17रायसेनदिनाँक 23 / 02 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
डिया ई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया रायसेनके पत्र क्रमांक / 157 / DEIAA/2017रायसेनदिनाँक 05 / 05 / 2017के द्वारा फर्शी पत्थर –3425 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर –3424घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदनकियागया है औरअनुमोदित खनन् योजनाअनुसार3424घनमीटर / वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक1773 / खनिज / 2023रायसेनदिनांक .06 / 10 / 2023अनुसार500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानेंस्वीकृतनहींहै, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1773 / खनिज / 2023 रायसेनदिनांक .06 / 10 / 2023 अनुसार10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहीं है एवं100 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थित है जिसकीवनमंडलाधिकारीसामान्य वनमण्डलरायसेन के पत्र क्रमांक / मा.वि. / 53 रायसेन दिनाँक 13 / 01 / 2017 के अनुसारवनसमिति से अनुशंसाप्राप्त है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1773 / खनिज / 2023 रायसेनदिनांक .06 / 10 / 2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन / सार्वजनिकभवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉपडैम / नहर / ग्रामीणकच्चा / पक्कारास्ता / नालानहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायतमुरेलकलांजिला रायसेनके ठहरावप्रस्तावदिनांक20 / 11 / 2016अनुसारप्रस्तावितस्थल पर खनन् कार्य से पंचायतकोकोईआपत्तिनहीं है ।	

प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावकनेबतायाकिइस खदान काविवरणजिले की अनुमोदितनवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.–22 के सरलक्रमांक–04 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। लगभग 30 प्रतिशत
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग . कुछ पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लीज के बाजू से हालेज रोड निकल रही है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गईजानकारीसंतोषजनक एवंस्वीकार्य योग्य होने से समितिविशिष्ट शर्तो एवंस्टेण्डर्ड शर्तोसंलग्नक–ए अनुसारनिम्नानुसारपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतिजारीकरनेकीअनुशंसाकरती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारअधिकतम् उत्पादन क्षमता3424 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद मेंकेपीटलराशि रू. 10.76लाख एवंरिक्रिंगराशि रू. 1.65लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद मेंनिम्नानुसारराशि रू. 0.30 लाख तथासी.ई.आर. मेंप्रस्तावितसभीकार्यआगामी 01 वर्ष मेंपूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	राशि (रू.में)

शासकीय प्राथमिक शालाचाँदनामें 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
चाँदनाके प्राथमिकस्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारीअधिकारी के सलाह के अनुसारसामग्रीकावितरण	15,000
कुल	**30,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृतपौधोंकाबदलावतथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1087वृक्षोंका वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रकिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

को–चेयरमेन की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

प्रायः समिति के समक्ष देखने में आ रहा है कि खनन क्षेत्र गॉव में स्थापित चरनोई भूमि में भी खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया जा रहा है जिससे कि चराई प्रतिबंधित हो रही है एवं पशुओं के भोजन/चारा आदि में विपरीत असर पड़ता है। अतः चरनोई भूमि पर खनन स्वीकृत नही किये जाने हेतु सिया स्तर पर संबंधित विभाग को सूचित किया जावे।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को–चेयरमेन

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.

n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे